

काठीकुण्ड गोलीकांड की सीबीआई जांच की मांग

[दुमका/सपन पत्रलेख]

“खान-खनिज और लोग” के समापन समारोह में दुमका के एसडीसी में काठीकुण्ड गोली कांड की सीबीआई जांच की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया। एमएमपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीधर ने पत्रकारों से बात-चीत करते हुए कहा कि दुमका के काठीकुण्ड में विस्थापन के विरोध में आंदोलन कर रहे आदिवासीयों पर गोली चलाई गई जिसमें कई लोग गोली से घायल हुए और दो की मौत भी हुई। यहां बता दें कि 6 दिसम्बर 2008 को विस्थापन और सीईएसई कंपनी के पावर प्लांट के विरोध में निकाली गयी आदिवासियों की रैली पर काठीकुण्ड के सिदो-कान्हु मोड से पहले गोली चला दी गयी थी। इस घटना के बाद से वहां आंदोलन तेज हो गया था जिस कारण सीईएसई को वहां से अपना प्रोजेक्ट हटाना पड़ा था। डीवीसी के विस्थापितों के जगह बाहर के गैर विस्थापितों को नौकरी दे दी गई। इसकी भी जांच की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया। इसी प्रकार एचसी के विस्थापितों के जमीन को सरकार गलत तरीके से बेच रही है, इसकी जांच की मांग सीबीआई से करने का प्रस्ताव लिया गया। श्रीधर ने कहा कि



दुमका : कार्यशाला के बारे में बताते प्रतिनिधि और प्रदर्शन करती महिलाएं



विस्थापितों से जतायी एकजुटता

दुमका/कार्यालय संवाददाता। सीबीआई जांच की मांग समेत तीन मांगों को लेकर शुक्रवार को महिलाओं के अर्द्धनग्न प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर कई संगठनों के प्रतिनिधि आंदोलनकारियों से मिलने विकास भवन के सामने पहुंचे जिसमें बंगलोर से आयी अरुणा चंद्रशेखर, हिमाचल प्रदेश से आये गुमान सिंह, छत्तीसगढ़ से सविता रथ, बासवी किडो, सौरभ अग्रवाल, राजेश

त्रिपाठी, कुमार चंद्र मार्टी, चरण आदि शामिल थे। संगठन के सलाहकार रामाश्रय सिंह ने कहा कि वह चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अपने वादे के मुताबिक विस्थापितों के नियुक्ति के मामले में सीबीआई जांच के लिए केन्द्र की सरकार को अनुसंशा करें। यह भी मांग है कि विस्थापितों को समझौता के तहत जमीन के बदले चकवृद्धि ब्याज समेत मुआवजा दी जाय और जमीन का कागज देखकर

विस्थापितों को डीवीसी में नौकरी दी जाये। प्रदर्शन में अष्टोमी मुर्मू, अजीत दत्ता, शिवकुमार मुखर्जी, जयलाल सोरेन, चुनी मुमरू, सुभाष मंडल, साधु मल्लिक, हाबू महतो, कालीपद हेम्ब्रम, जाहीद अंसारी, पूरन राय, सुकदेव राय, हेलना हेम्ब्रम, दिलीप राय, बादल पंडित, कृष्णा सोरेन, मुबाकर अंसारी, बदन दास, नंदा माझी, रुपम भंडारी, किशोर मरांडी, चंदना सोरेन आदि शामिल हुए।

देश के सभी आंदोलनकारियों पर गलत तरीके से जो प्राथमिकी दर्ज है। उसे समाप्त करने का प्रस्ताव लिया गया। सीएनटी, एसपीटी एक्ट वन पर्यावरण के कानून का बदलाव का संघ ने विरोध किया है तथा इसका प्रस्ताव लिया है। श्रीधर ने कहा कि बिना विस्थापन के विकास को एडॉप्ट किया जाये जिसमें पर्यावरण कि क्षति नही हो इसका प्रस्ताव लिया गया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ब्लाक रद्द किये है उसका सभी प्रस्ताव रद्द किया जाये। जिसमें भू-अर्जन पर्यावरण आदि प्रस्ताव भी शामिल है। दो दिवसीय सम्मेलन के

अंतिम दिन शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका की गुषा रेड्डी ने विस्तार से पूरे विश्व में कोयला के खनन से हो रहे विस्थापन उसके क्षेत्र के बारे में जानकारी दी। विस्थापन आंदोलनकारी मुन्नी हांसदा ने कहा कि दो दिवसीय एमएमपी का सम्मेलन इस क्षेत्र के लिए लाभप्रद रहा। यहां के आंदोलनकारी ने छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना राज्य से आये आंदोलनकारियों से काफी कुछ सिखा। उन्होंने कहा कि स्थानीय, जिला, राज्य, देश स्तर पर विस्थापन के सवाल पर जागृति अभियान चलाया जायेगा।